FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का खटकड

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र प्रचलित रास्ता अ.धा.131, 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर: 85/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2024	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2065 / भू.अ. / 2024 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड के कृषि भूमि खसरा नम्बर 24 / 1, 33 / 1 मे से जा रहे अजमेरी मुख्य सडक से रूंझाली ढाणी (स्वामियों की ढाणी) तक जाने वाली सडक से लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, सहमति पत्र हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान, फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट पटवारी हल्का खटकड संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित रास्ते अजमेरी मुख्य सडक से रूंझाली ढाणी (स्वामियों की	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.30 14:47:48 IST
Reason: SelfAttested

ढाणी) तक जाने वाली सड़क से लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.30 14:47:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या– 85/2024 निर्णय दिनांक: 24.09.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956

आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2065/भू.अ./2024 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, प्रचलित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर सहमति बतौर संबंधित कुछ खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है तथा अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम अजमैरी पटवार हल्का खटकड के कृषि भूमि खसरा नम्बर 24/1, 33/1 मे से जा रहे अजमेरी मुख्य सडक से रूझाली ढाणी (स्वामियों की ढाणी) तक जाने वाली सडक से लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होने, प्रस्तावित रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आना बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा रिपोर्ट भी पेश की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 131, 132 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 57 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.30 14:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव मे अंकित खसरा नम्बरान मे से रास्ते के काम आ रहे रकबे को निम्नानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा जो रास्ते मे काम आ रहा है।
1	खटकड	अजमेरी	24 / 1	1.6612	0.0180
2	खटकड	अजमेरी	33 / 1	1.0800	0.0144

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नक्शा ट्रेस मे अंकित / दर्ज खातेदारी भूमियों में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेंगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह आदेश आज दिनांक 24.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.30 14:47:48 IST
Reason: SelfAttested